101

संख्या : /3 -दा(8)/XXXVI(2)/2012-13-दा(8)/12

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 09 अगस्त, 2012

विषयः दीवानी न्यायालय, हल्द्वानी में न्यायाधीशों के आवासों में रंगाई-पुताई व मरम्मत कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-1332/U.H.C./Admn.B/IX-b/2010, दिनांक: 28 मार्च, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीवानी न्यायालय, हल्द्वानी में न्यायाधीशों के आवासों में रंगाई-पुताई व मरम्मत कार्य हेतु निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा गठित आगणन ₹ 13.78 लाख के सापेक्ष **₹ 12.95 लाख (रू0 बारह लाख पिचानवें हजार मात्र)** के आगणन पर सम्यक विचारोपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय ।

(4) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(5) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(6) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

संख्या- /3 -दो(8)/XXXVI(2)/2012-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
5. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
6. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Law (S029)

आवंटन पत्र संख्या - law-2, 666

अनुदान संख्या - 004

अलोटमेंट आई डी - S1208040093

HOD Name - Registrar,Hon'ble High Court (4029)

आवंटन पत्र दिनांक - 07-Aug-2012

1: लेखा शीर्षक - 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
60 - अन्य भवन
051 - निर्माण
03 - न्यायिक कार्यो हेतु भवनों का निर्माण / भूमि क्रय (7
00 - न्यायिक कार्यो हेतु भवनों का निर्माण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	58703000	1295000	59998000
	58703000	**1295000**	**59998000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1295000